ई-मेल

संख्या-7/2022/925/एक-1-2022-रा0-1

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बदायूं।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 21 नवम्बर, 2022**

विषयः-मैसर्स किलज सोलर (महाराष्ट्र) प्रा0 लि0 वर्तमान नाम मैसर्स अदानी सोलर एनर्जी फोर प्रा0 लि0 ग्राम शुकुरूल्लापुर, जौनेरा व बक्सर खालसा, तहसील सहसवान व जिला बदायूं में विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1452/12-ए0बी0/2022, दिनांक-20.01.2022 तथा पत्र संख्या-1668/12-ए0बी0/2022, दिनांक-25.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मै0 किलज सोलर प्रा0लि0 (वर्तमान में अडानी सोलर एनर्जी फोर प्रा0 लि0) द्वारा ग्राम शुकुरूल्लापुर, जौनेरा व बक्सर खालसा, तहसील सहसवान, जनपद बदायूं में सोलर प्लान्ट स्थापित करने के लिये बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा 5.0586 हे0 से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में श्री राज्यपाल मै0 किलज सोलर प्रा0लि0 (वर्तमान में अडानी सोलर एनर्जी फोर प्रा0 लि0) द्वारा ग्राम शुकुरूल्लापुर, जौनेरा व बक्सर खालसा, तहसील सहसवान, जनपद बदायूं में विहित सीमा अर्थात 5.0586 हे0 से अधिक क्रय की गयी कुल 24.27508 हे0 भूमि के जुर्माने सहित विनियमितीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. संस्था द्वारा आवेदन करते समय निर्धारित जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार आगणित कुल मूल्य के 10 प्रतिशत अर्थात् कुल रुपया 54,28,095/- (चौवन लाख अठ्टाईस हजार पचानवे रूपये मात्र) निर्धारित ''राजस्व एवं पूंजीलेखे की प्राप्तियों के ब्योरेवार अनुमान'' के लेखाशीर्ष ''0029-भू-राजस्व-101-भू-राजस्व/कर-06-राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत प्राप्तियां'' के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष ''03-अन्य प्राप्तियां'' में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा।
2. प्रश्नगत भूमि का क्रय मै0 किलज सोलर (महाराष्ट्र) प्रा0लि0 के नाम किया गया है, इसलिए प्रश्नगत भूमि का विनियमितीकरण उसी संस्था के नाम से ही किया जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. प्रश्नगत भूमि का उपयोग सोलर प्लांट की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
4. यदि संस्था संहिता की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89 (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित/क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू होगे। परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी अनुज्ञा की अवधि को तद्निमित्त कारण अभिलिखित करने के पश्चात अग्रेतर तीन वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।
5. संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर शासन को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।
6. जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के सम्बन्धित गाटों के विक्रय पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किए गए हैं।
7. संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
4. अडानी कॉरपोरेट हाऊस, शान्तिग्राम, नियर वैष्णो देवी सर्किल, एस.जी. हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद, गुजरात-382421
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in